भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2953
दिनांक 17 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

फार्मा क्लस्टर्स का सहयोग करने हेतु योजना

2953. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की संपूर्ण देश में मौजूदा फार्मा क्लस्टर्स की उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता का सहयोग करने के लिए कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या ऐसी योजना फार्मा क्लस्टरों की उत्पादकता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उनकी बढ़ती मांग को पूरा करेगी;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा भारत को फार्मास्युटिकल क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) से (घ): क्लस्टर में फार्मा एमएसएमई के लिए बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करने और व्यक्तिगत फार्मा एमएसएमई का प्रौद्योगिकी उन्नयन के मुद्दों का समाधान करने और अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रमों, डेटाबेस के विनिर्माण और उद्योग के संवर्धन के माध्यम से औषध और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की अवधि सहित तीन उप-योजनाओं (अर्थात साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ), औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) और औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन और विकास योजना (पीएमपीडीएस)) के साथ औषध उद्योग के सुदृढ़ीकरण (एसपीआई) की योजना को कार्यान्वित कर रहा है

i. एपीआई-सीएफ का उद्देश्य "साझा सुविधाओं" के रूप में ठोस परिसम्पत्ति विनिर्माण करके विद्यमान औषध क्लस्टर्स की क्षमता को उनके निरंतर विकास के लिए सशक्त करना है। एसएससी के अनुमोदन के अनुसार योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान अनुमोदित परियोजना लागत का 70% या 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, होगा। हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मामले में सहायता अनुदान 20 करोड़ रुपये प्रति क्लस्टर या सामान्य अवसंरचना सुविधाएं (सीआईएफ) की परियोजना लागत का 90%, जो भी कम हो, होगा। तत्कालीन एपीआई-सीएफ के अंतर्गत, अब तक 3 परियोजनाओं प्रत्येक में एक तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, एसपीआई योजना के एपीआई-सीएफ उप-घटक के अंतर्गत, तीन परियोजनाओं को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी गई है, दो परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी गई है और दो परियोजनाएं सूचीबद्ध चरण में हैं।

ii. पीटीयूएएस का उद्देश्य सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम फार्मा उद्यमों (एमएसएमई) को डब्ल्यूएचओ-जीएमपी या अनुसूची-एम को पूरा करने के लिए अपनी तकनीक को अपग्रेड करने की सुविधा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत सहायता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में या योजना के अंतर्गत पात्र ऋण घटक पर 10% की क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी द्वारा स्वीकृत ऋणों के लिए घटती शेष राशि पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए 10 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक ले जाने वाली योजना के अंतर्गत पात्र ऋण घटक के लिए अधिकतम 5% (6% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व और प्रबंधन वाली इकाइयों के मामले में) प्रति वर्ष ब्याज अनुदान है। ऋण की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चार आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

iii. पीएमपीडीएस के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए उद्योग के अग्रणियों, शिक्षाविदों और नीति विनिर्माताओं को एक साथ लाकर औषध और चिकित्सा उपकरण उद्योग को संवर्धन देना है। अन्य उद्देश्य अध्ययन आयोजित करने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, डेटाबेस बनाने और उद्योग के संवर्धन के माध्यम से क्षेत्रों की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाना है। अनुदान सहायता के रूप में सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रम, डेटाबेस का विनिर्माण और उद्योग के संवर्धन के लिए इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ): आयात निर्भरता को कम करने और वैश्विक बाजार में एक प्रमुख स्थान स्थापित करने के लिए थोक औषधियों सहित फार्मास्युटिकल औषधियों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जो इस प्रकार हैं;

i. भारत में 6,940 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की अवधि के साथ प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/दवा मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत 41 चिन्हित उत्पादों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना है। योजना के अंतर्गत कुल 51 आवेदनों का चयन किया गया है। इनमें से 34,255 मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता के साथ 22 परियोजनाओं को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

ii. 15,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के साथ औषध के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना छह साल की अवधि के लिए तीन श्रेणियों के अंतर्गत पहचाने गए उत्पादों के विनिर्माण के लिए 55 चयनित आवेदकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इन 55 चयनित आवेदकों के लिए लगभग 5500 पात्र उत्पादों को योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 प्रदर्शन का पहला साल है। अब तक, फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत 363 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।

iii. 3,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय और वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की अवधि के साथ बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन के लिए योजना, बल्क औषधि पार्कों की स्थापना के लिए तीन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 13 राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के प्रस्तावों को अंततः प्रस्तावित बल्क औषधि पार्कों में साझा बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया है। योजना के अंतर्गत राज्यों को पहली किस्त जारी कर दी गई है।

iv. प्रमुख गैर-योजनाबद्ध कार्यकलाप के अंतर्गत, फार्मा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए, सरकार ने स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए फार्मा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी है। ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए, 74% तक, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एफडीआई निवेश की अनुमति है और 74% से 100% तक, सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत एफडीआई निवेश की अनुमति है।

*****